न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–207 / 2020 दायर दिनांक: 04.12.2020

GCMS NO:- 2020/00390

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

अकबर पुत्र सुलेमान खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थी–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 24.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डली पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 2 की खसरा संख्या 294 / 381 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम मुण्डली पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में भूमि सिवायचक खाता संख्या 1 की खसरा संख्या 294 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह किग्राम मुण्डली पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 294 / 381 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 294 पर परिशिष्ट अ में दर्शाये रास्ते ए से बी पर होकर आम रास्ता तक मिलता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण कोई भी बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा हो जाता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। अतः खसरा संख्या 294 / 381 तक पहुॅचने के लिए सिवायचक भूमि खसरा संख्या 294 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 दर्डा में से रकबा 330 फीट • 13.2 फीट = 4356 वर्गफीट = रकबा 0.0405 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सादेडा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम मुण्डली पटवार मण्डल सादेडा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी कीभूमि खाता संख्या 2 की खसरा संख्या 294 / 381 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए सिवायचक भूमि खसरा संख्या 294 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 खाल व दरडे में से रकबा 330 फीट • 13.2 फीट = 4356 वर्गफीट = रकबा 0.0405 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner